भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 109
सोमवार, 03 फरवरी, 2025 / 14 माघ, 1946 (शक)

डीटीएनबीडब्ल्यूईडी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण

109. श्री केसिनेनी शिवनाथ:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा और विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) योजना के प्रायोजित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएसटीटीपी) के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) डीटीएनबीडब्ल्यूईडी योजना के विभिन्न घटकों के लिए आबंटित कुल बजट का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार प्रशिक्षण प्रक्रिया के पश्चात् नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों की कुल संख्या पर नजर रख रही है और यदि हां, तो विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार के पास संगठित और असंगठित क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): प्रायोजित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसएसटीटीपी) ट्रेड यूनियन/एनजीओ/उद्योग संघ/चेंबर ऑफ कॉमर्स/ठेकेदार/खनन निकायों आदि के लिए मांग आधारित कार्यक्रम है और यह वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू हुआ है।

बोर्ड द्वारा पिछले 03 वर्षों (वित्त वर्ष-2022 से वित्त वर्ष-2025) के दौरान देश भर में कुल 1675199 कामगारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 57151 कामगारों को एसएसटीटीपी कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न हैं।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान डीटीएनबीडब्ल्यूईडी योजना के विभिन्न घटकों को आबंटित कुल बजट निम्नानुसार है:

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	वेतन	सामान्य	पूंजीगत परिसंपत्तियां	कुल
1.	2020-21	68,00,00,000	16,50,00,000	-	84,50,00,000
2.	2021-22	83,76,00,000	25,24,00,000	99,00,000	1,09,99,00,000
3.	2022-23	89,18,00,000	13,97,00,000	-	1,03,15,00,000
4.	2023-24	88,60,50,000	16,52,00,000	-	1,05,12,50,000
5.	2024-25	86,12,00,000	17,14,00,000	-	1,03,26,00,000

जारी..2/-

(ग): जी नहीं, प्रशिक्षण प्रक्रिया के बाद लोगों का ट्रैक रखने के ऐसा लिए कोई तंत्र नहीं है।

(घ): प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहुँच बढ़ाने के लिए, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी ने एक समन्वित कार्य मंच विकसित किया है, जिसमें कामगारों कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न कार्य समूह एक साथ मिलकर काम करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई में ऐसे संयुक्त प्रयास-आधारित कामगारों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पहुँच का विस्तार हुआ है। इन परिणामों से उत्साहित होकर, बोर्ड अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में भी इसी तरह के संयुक्त प्रयास करने की योजना बना रहा है।
*

*****

अनुबंध

दिनांक 03.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय कामगार शिक्षा एवं विकास बोर्ड योजना के तहत प्रशिक्षित कामगारों की कुल संख्या का ब्यौरा (राज्यवार)

क्र. सं.	राज्य	2022 - 23			2023 - 24			2024 - 25 (01.04.2024 से 31.12.2024 तक)		
		एसएसटीटीपी के तहत प्रशिक्षित कामगारों की संख्या	अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित कामगारों की संख्या	**कुल**	एसएसटीटीपी के तहत प्रशिक्षित कामगारों की संख्या	अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित कामगारों की संख्या	**कुल**	एसएसटीटीपी के तहत प्रशिक्षित कामगारों की संख्या	अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित कामगारों की संख्या	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	5100	8916	**14016**	900	28445	**29345**	--	18301	**18301**
2	अरुणाचल प्रदेश	--	80	**80**	--	296	**296**	--	-	**0**
3	असम	1227	5354	**6581**	--	24874	**24874**	--	9964	**9964**
4	बिहार	1203	6310	**7513**	--	16519	**16519**	170	8756	**8926**
5	चंडीगढ़	--	70	**70**	--	688	**688**	62	956	**1018**
6	छत्तीसगढ़	956	8635	**9591**	200	10140	**10340**	100	7811	**7911**
7	दिल्ली	--	10817	**10817**	--	16686	**16686**	169	23216	**23385**
8	गुजरात	1471	23630	**25101**	542	52364	**52906**	270	31971	**32241**
9	हरियाणा	1100	6911	**8011**	162	16526	**16688**	114	8439	**8553**
10	गोवा	451	11890	**12341**	200	12379	**12579**	101	2818	**2919**
11	हिमाचल प्रदेश	380	4088	**4468**	100	8345	**8445**	115	4485	**4600**
12	जम्मू और कश्मीर	--	3615	**3615**	--	9496	**9496**	69	6873	**6942**
13	झारखंड	1705	20145	**21850**	1835	45932	**47767**	590	32903	**33493**
14	कर्नाटक	1236	27635	**28871**	100	59395	**59495**	146	36845	**36991**
15	केरल	3160	11189	**14349**	616	19976	**20592**	241	11852	**12093**
16	लद्दाख	--	--	**--**	**--**	778	**778**	--	--	**--**
17	मध्य प्रदेश	3484	35727	**39211**	600	68372	**68972**	--	34388	**34388**
18	महाराष्ट्र	2402	24440	**26842**	251	56244	**56495**	349	29199	**29548**
19	मणिपुर	199	9305	**9504**	--	7915	**7915**	--	7406	**7406**
20	ओडिशा	2800	42492	**45292**	714	47472	**48186**	258	29189	**29447**
21	पुडुचेरी	--	--	**--**	--	243	**243**	--	--	**--**
22	पंजाब	290	4482	**4772**	--	9015	**9015**	--	3663	**3663**
23	राजस्थान	3068	13315	**16383**	330	34295	**34625**	--	20927	**20927**
24	सिक्किम	--	--	**--**	--	286	**286**	--	--	**--**
25	तमिलनाडु	3432	37152	**40584**	100	50347	**50447**	165	31284	**31449**
26	तेलंगाना	670	7475	**8145**	--	14716	**14716**	--	4161	**4161**
27	त्रिपुरा	--	--	**--**	--	796	**796**	--	--	**--**
28	उत्तर प्रदेश	5519	46293	**51812**	2700	95392	**98092**	323	55539	**55862**
29	उत्तराखंड	--	218	**218**	--	1041	**1041**	--	140	**140**
30	पश्चिम बंगाल	2997	25474	**28471**	1451	58649	**60100**	258	33682	**33940**
कुल		**42850**	**395658**	**438508**	**10801**	**767622**	**778423**	**3500**	**454768**	**458268**

****